न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 36/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
ढगलाराम पुत्र नेनाजी जाति माली निवासी कंटालिया तहसील मारवाड जंक्शन	1	राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन
	2	भानुप्रकाश पुत्र टिकमराम कौम सिरवी निवासी कंटालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री सुरेन्द्र वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 22/01/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम कंटालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 2698 पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक ..... के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कंटालिया में अपीलाण्ट एवं अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि आई हुई स्थित है, जिसमें जीवाराम, नरपत पि0 पूनाराम, प्रेम, शोभा पुत्रियां पुनाराम का मात्र नाम ही अंकित है, किन्तु मौके पर कब्जा काश्त नही है। इसका अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए इनके द्वारा अपने तथाकथित हिस्से की भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कर दिया। उक्त बेचान को शून्य घोषित कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा माननीय जिला न्यायालय में दावा किया है तथा खातेदारी की घोषणा हेतु सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन के समक्ष भी दावा प्रस्तुत किया है। जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 47/2014 कर रखा है, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2014 को स्थगन आदेश पारित कर रखा है। इसके उपरान्त भी नायब तहसीलदार ने नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जबकि प्रथम तो नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.07.2014 को दायर किया है तथा भू0अ0नि0 ने दिनांक 04.07.2014 को जांच की एवं उसके पश्चात नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण को स्वीकृत किया तथा स्वीकृति दिनांक जानबूझ कर अंकित नही की, क्योंकि जिस दिन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, उस दिन न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर स्थगन आदेश प्रभाव में था। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार को कानूनी तौर पर जैर अपील नामान्तरकरण को स्वीकृत करने का

अति. जिला कलक्टर, पाली

अधिकार ही नही था, क्योंकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (1) में राज्य सरकार ने ऐसे अधिकार ग्राम पंचायत को दे रखा है एवं ग्राम पंचायत अगर 45 दिन में उक्त नामान्तरकरण सम्बन्धी कोई प्रक्रिया अस्वीकृत करने में प्रस्ताव नही ले पाती है, तो उसका दायित्व बनता है कि ऐसे नामान्तरकरण को भूमिधारी के पास भेजना चाहिये एवं उसके बाद ही अधीनस्थ नायब तहसीलदार का अधिकार क्षैत्र आता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मचारीयों से मिलावट करते हुए स्थगन आदेश प्रभाव में होने के बावजूद जैर अपील आदेश पारित करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा पारित आदेश को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की है, वह स्पष्टतया म्याद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। इस अवधि को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उस प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण दर्शित नही किया है। इस कारण देरी को कण्डोन नही किया जा सकता है। जैर अपील नामान्तरकरण से सम्बन्धित भूमि बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन में वाद विचाराधीन होना बताया, जो वाद खारिज हो चुका है। अपीलाण्ट को उक्त वाद एवं जैर अपील नामान्तरकरण की सम्पूर्ण जानकारी है, इसके बावजूद भी म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 सद्भावी क्रेता है, जिसने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये भूमि खरीद की है। अपीलाण्ट उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कब्जा नही होना बताया है, जबकि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रेकर्ड) रूल्स 1958 के नियम 132 के तहत पंजीबद्ध दस्तावेज में यदि कब्जा सुपुर्द किया जाना अंकित होता है, तो उसके आधार पर नामान्तरकरण दायर किया जा सकता है तथा कब्जा क्रेता का ही माना जायेगा, यह आज्ञापक प्रावधान है। जैर अपील नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटी नही की है। अतः अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 24.06.2014 की पालना में दिनांक 23.07.2014 को दायर किया है, जिस पर भू0अ0नि0 द्वारा दिनांक 31.07.2014 को जांच की गई, जिसे नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा दिनांक अंकित न करते हुए स्वीकृति आदेश पारित किया है। न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 47/2012 में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश प्रभाव में थे। अब प्रश्न म्याद का आता है कि हस्तगत अपील अन्दर म्याद शुमार योग्य है अथवा नही ? इस समबन्ध में दौराने बहस जो तथ्य प्रकट हुए है, उनका दस्तावेजात् से विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि जब न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड जंक्शन में वाद एवं स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस समय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रकरण में पक्षकार संयोजित नही था, जिसे बाद में पक्षकार संयोजित किया गया है, किन्तु तत्समय वे व्यक्ति प्रकरण में पक्षकार संयोजित थे, जिनके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भूमि का बेचान किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट अधिवक्ता के इस कथन पर विश्वास किया जा सकता है कि उन्हे दौराने वाद उक्त बेचान तथा बेचान के आधार पर दायर जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी हुई तथा जानकारी होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया, तब जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत

अति. जिला कलेक्टर, पाली

की है। अब उक्त भूमि में किस पक्ष का कितना हिस्सा निहित होता है, इसका निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता है, इस हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही ही उचित उपचार है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां पक्षकारो के मध्य हक अधिकार जैसे जटिल बिन्दुओं का प्रश्न हो, वहां म्याद के बिन्दु पर प्रकरण का निर्धारण नही किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना ही न्यायोचित माना गया है। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार जैर अपील नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व स्थगन आदेश के सन्दर्भ में प्रकरण को परीक्षित नही किया गया तथा स्थगन आदेश के प्रभाव में रहते जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश को कायम रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम कंटालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 2698 पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक ..... को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड वास्ते पालनार्थ भिजवाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/01/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली